

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार
(पशुपालन निदेशालय)

समीकित मुर्गी विकास योजना (वित्तीय वर्ष 2025-26) के अन्तर्गत पूर्व विज्ञापित रायलर/लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना में शेष रिकितियों के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2025-26 में रायलर/लेयर फार्म हेतु पुनर्विज्ञापन

- योजना - वित्तीय वर्ष 2025-26 में समीकित मुर्गी विकास योजना के अन्तर्गत रायलर/लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना
- कार्य क्षेत्र - योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में।
- आवेदन - विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात् ऑनलाईन लिंक खुलने के 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

इष्टक व्यक्ति इस योजना हेतु विभागीय वेबसाईट www.state.bihar.gov.in/ahd पर दिये गये लिंक पर जाकर अपने आधार संख्या/वोटर कार्ड संख्या से पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन के साथ सभी वांछित कागजातों/अनुदानकों को ऑनलाईन अपलोड करना होगा, जो मुख्य रूप से निम्न है:-

वांछित मुर्गे का साक्ष्य	अवदान लगान रसीद/रूल0पी0सी0, लीज का एकरारनामा, नजरी नक्शा
वांछित राशि का साक्ष्य	पासबुक, एक0डी0, अन्य (प्रथम तथा अंतिम पृष्ठ जिस पर राशि अंकित हो)
प्रशिक्षण	सरकारी संस्थानों से कुक्कुट पालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। (6 दिवसीय)
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति	जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित रिक्ती हेतु आवेदन पत्र)
अन्य	फोटो, आधार,वोटर आई0डी0, पैन कार्ड, आधार प्रमाण पत्र



- चयन - वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित योजना एवं तत्काल में निर्गत किये जाने वाले कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में लाभुकों का चयन किया जाएगा।
- प्राथमिकताएँ - लाभुकों का चयन क्रमशः स्वलागत एवं प्रशिक्षण को प्राथमिकता देते हुये पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। प्रशिक्षण के संदर्भ में मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थानों से कुक्कुट पालन में प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
- स्वलागत/ऋण - आवेदक चाहे तो ढ़क से ऋण लेकर अथवा स्वलागत से फार्म स्थापित कर सकते हैं। ढ़क से ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया लाभुक के द्वारा स्वयं की जायेगी।

क्र0 सं0	कोटि	लेयर/रायलर मुर्गी फार्म की क्षमता	रिक्ति (इकाई में)	इकाई लागत (लाख रुपये में)	आवेदन के समय आवेदक के पास वांछित राशि		अनुदान	भूमि की आवश्यकता
					स्वलागत (लाख रुपये में)	ढ़क ऋण		
1	सामान्य जाति	10,000 लेयर	16	100.00	70.00	10.00	30	100 हिसाबिल
2		5,000 लेयर	17	48.50	33.95	4.85	30	50 हिसाबिल
3		3,000 रायलर	29	10.00	10.00	1.00	30	16.10 हिसाबिल
4	अनुसूचित जाति	10,000 लेयर	14	100.00	60.00	10.00	40	100 हिसाबिल
5		5,000 लेयर	19	48.50	29.10	4.85	40	50 हिसाबिल
6		10,000 लेयर	1	100.00	60.00	10.00	40	100 हिसाबिल
7	अनुसूचित जनजाति	5,000 लेयर	2	48.50	29.10	4.85	40	50 हिसाबिल
8		3,000 रायलर	3	10.00	10.00	1.00	50	16.10 हिसाबिल

- रिकितियों की संख्या अन्तर्निम (Tentative) है।

• ऋण से अधिक योग्य आवेदन प्राप्त होने पर आगामी सामान्य योजना में सफल चयन किया जा सकेगा एवं संबंधित जिलों में संबंधित कोटि में रिक्ति उपलब्ध हो।

• ऑनलाईन आवेदन करने के पहले पूर्वास्वास हेतु मॉडल आवेदन पत्र विभाग के वेबसाईट www.state.bihar.gov.in/ahd से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।

• विशेष जानकारी संबंधित जिला पशुपालन प्रशासिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

निदेशक, पशुपालन, बिहार।